/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पी०पी०एम०–82/2016 5214 /कृ0, पटना, दिनांक– 14-12- ,2016

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद 540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख रूपये) एवं राज्यांश 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख रूपये) कुल 900.00 लाख (नौ करोड़) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद 540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख रूपये) एवं राज्यांश 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख रूपये) कुल 900.00 लाख (नौ करोड़) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त होने पर आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्रांक 1–4/2016–RKVY दिनांक 04.08.2016 के आलोक में दिनांक 05.08.2016 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग परियोजना समिति (SLSC) की बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम को कुल मो० 900.00 लाख रूपये के लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप में बागवानी विकास को काफी प्रमुखता दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के तीन जिलों यथा–सीतामढ़ी, नवादा एवं मधेपुरा में योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है। जिसका संचालन जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) का 2016–17 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसूची – 1 पर संलग्न है। जिलावार केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में आवश्यक राशि की विवरणी अनुसूची–2 एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

4. योजना के तहत् संकर प्रभेद एवं खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती हेतु सब्जी बीज जैव उपादान, जैव रसायन, इत्यादि कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाना है। संकर प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 45,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती का इकाई लागत 30,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। योजना के तहत् उक्त इकाई लागत का 75 प्रतिशत एवं अन्य घटकों के लिए MIDH के अनुरूप 50 प्रतिशत देय सहायतानुदान अनुमान्य है।

E:\A\HINA\...\VIUC\Sanlekh VIUC dt. 22.09.2016.docx

5. Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी हैं।

6. स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी। लाभुकों को अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

7. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

8. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.),विपत्र कोड–P2401001090216,पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	17451.72	448.20
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–1 उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड–P2401007890203, पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष– 3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	4474.80	86.40
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष 0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड–P2401007960231, पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	447.48	5.40
कुल	**22374.00**	**540.00**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.),विपत्र कोड–P2401001090316,पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	11634.48	298.80
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष– 00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–1 उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड–P2401007890303, पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	2983.20	57.60
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष 0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड–P2401007960331, पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	298.32	3.60
कुल	**14916.00**	**360.00**
सकल योग	**37290.00**	**900.00**

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–82/2016 के पृ0सं0–12/टि० पर दिनांक– 09.12.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.12.2016

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–82/2016 5214 /कृ0, पटना, दिनांक 14-12-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–82/2016 5214 /कृ0, पटना, दिनांक 14-12-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–82/2016 5214 /कृ0, पटना, दिनांक 14-12-2016

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–82/2016 5214 /कृ0, पटना, दिनांक 14-12-2016

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, उद्यान/सहायक निदेशक, उद्यान, सीतामढ़ी, नवादा, मधेपुरा/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.12.2010

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\VIUC\Sanlekh VIUC dt. 22.09.2016.docx